तारीख हुक्म	हुक्त या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

30.08.2024

पत्रावली आज प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में पूर्व में वकील वादी द्वारा दिनांक 22.09.2022 द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् कायम मुकाम इस आशय का पेश किया था कि वादी रामदयाल पुत्र पन्ना रेगर का दिनांक 06.08.2017 को देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के रहने वाले व्यक्ति है, जिनको कानूनी नोइयत की जानकारी नहीं होने के कारण नियत समय पर कार्यवाही नहीं कर सके है। प्रार्थीगण मृतक रामदयाल के निम्नलिखित वारिसान है–

1. बाबूलाल पुत्र रामदयाल
2. चन्द्रमोहन पुत्र रामदयाल
3. रामपति पुत्री रामदयाल
4. चन्द्रकान्ता पुत्री रामदयाल

समस्त जातियान रेगर, निवासीयान भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

उक्त वादीगण के अलावा मृतक रामदयाल के और कोई वारिसान नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगणों को मृतक रामदयाल के स्थान पर कायम मुकाम बनाने हेतु निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के संदर्भ में दिनांक 06.01.2023 को अपना जवाब प्रस्तुत किया है कि उक्त प्रकरण में रामदयाल की मृत्यु दिनांक 06.08.2017 को होने के बाद कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 5 वर्ष देरी से पेश किया गया है, जो काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र में देरी का कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। दावा अबेट हो जाने से प्रार्थना पत्र व दावा दोनों खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर समय पर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। वादी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान बराबर तारीख पेशी पर आते रहे हैं, लेकिन तथ्य को छुपाकर मृतक की ओर से पैरवी की गई है, और प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में भी मृत्यु की जानकारी होने के बाद मात्र कानूनी जानकारी नहीं होने का कारण दर्शित किया है, जो कि कोई युक्तियुक्त एवं मजबूत आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

बहस बकुलाय सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित बिन्दुओं का दोहरान किया।

मेने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी की मृत्यु 06.08.2017 को हुई है एवं कायम मुकाम प्रार्थना पत्र 20.09.2022 को पेश किया गया है, जो कि मृत्यु से लगभग 5 वर्ष बाद पेश किया है। लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मृतक वादी के विधिक वारिसानों को पार्टी बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दायर करने की अधिकतम समय सीमा मृत्यु से 90 दिवस तक ही है। वकील वादी द्वारा कानून की जानकारी नहीं होने के कारण नियत समय में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना अवगत कराया है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। वकील वादी द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का कोई ठोस, तर्कसंगत एवं युक्तियुक्तकारण नहीं बताया है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। फलस्वरूप कायम मुकाम प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर [illegible] की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं कायम मुकाम प्रार्थना [illegible] किया जाता है। एकमात्र वादी की मृत्यु हो जा[illegible] द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] चुका है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अबेट होने के कारण खारि[illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद [illegible]मील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा — सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.08.31 13:10:36 IST
Reason: SelfAttested